

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :-सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0:- 106 / 2026

1. देवेन्द्र सिंह पुत्र अमरजीत सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी हाल वार्ड नं0 29, हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1. अमरजीत सिंह पुत्र साधुसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सूरेवाला हाल वार्ड नं0 29, हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ
2. स्वर्णजीत कौर पुत्री अमरजीत सिंह } जाति कम्बोज सिख निवासी सूरेवाला हाल
3. नवप्रीत पुत्री अमरजीत सिंह } वार्डनं0 29, हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 30/3/26

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाष गर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- प्रतिवादी सं0 1 अमरजीत सिंह के नाम से चक नं0 12 सीडीआर के खाता सं0 50/43 में कुल 1.265 है0 में से 2/3 हिस्सा व इसी चक के खाता सं0 225/201 में कुल .253 है0 में 2/3 हिस्सा आराजी का वादी देवेन्द्र सिंह को खातेदार का तकार घोषित किया जाता है व चक न0 चक नं0 12 सीडीआर के खाता सं0 50/43 व इसी चक के खाता सं0 225/201 में से प्रतिवादी सं0 1 अमरजीत सिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/3/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



28
उपखण्ड अधिकारी एवं (A.S.)
सहायक उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।

प्रमाणित प्रतिलिपि
राजस्व
उपखण्ड अधिकारी टिब्बी